





CALL/WHATSAPP- 8804777500

CONDITIONS FOR TRANSPORT OF EXPLOSIVES IN BULK

CLICK ON THE LINKS TO JOIN VARIOUS MINING
EXAM PREPARATION TELEGRAM GROUP

METAL FIRST/SECOND CLASS EXAM TELEGRAM GROUP

COAL FIRST/SECOND CLASS EXAM TELEGRAM GROUP

MINE OVERMAN/SIRDAR EXAM TELEGRAM GROUP

GATE MINING EXAM TELEGRAM GROUP

STUDY MATERIAL/NOTES TELEGRAM GROUP

MINING JOBS TELEGRAM GROUP

MINING MATE/FOREMAN/BLASTER GROUP

**DISCUSSION
FORUM**

COAL INDIA LTD
EMPLOYEES'
SUBSIDIARY MUTUAL
TRANSFER FORUM

USER NOTES

- (ii) While making such survey, the measurement of lighting shall also be taken at the point farthest from the source of light lying within the limit of the work place or in haul road or travelling or haulage roadway, as the case may be.
- (iii) A record of every such survey shall be maintained and signed by the competent person making the survey and countersigned and dated by the manager.

11. Illumination Plan:

- (i) The manager of every mine shall ensure that an Illumination Plan, indicating the location of places, type of illuminating devices, fixtures, lamps, supports, any other devices for illumination and showing required as well as measured value of light at various places to be illuminated, is maintained. Where any area of the mine is not in use or not needed to be lighted, the same shall be clearly marked and demarcated on the plan with reasons to be recorded. The plan shall be kept signed and dated by the surveyor and the official authorized for maintaining the lighting standard and countersigned and dated by the manager.
- (ii) The Illumination Plan shall be brought up to date in every month based on the monthly illumination survey and considering the current status of workings.

[F. No. Z-20045/01/2018/S&T(HQ)]

PRASANTA KUMAR SARKAR, Chief Inspector of Mines

अधिसूचना

धनबाद, 1 अक्टूबर, 2018

सा.का.नि. 982(अ).—कोयला खान विनियम 2017 के विनियम 188 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, प्रशांत कुमार सरकार, मुख्य खान निरीक्षक, खान सुरक्षा महानिदेशक के रूप में भी नामित, एतद् द्वारा विनिर्दिष्ट करता हूँ कि कोयले की खान में थोक में विस्फोटकों के परिवहन के लिए शर्तें निम्नानुसार होगी:

बल्क (थोक) में विस्फोटकों के परिवहन की शर्तें

1. मालिक, एजेंट या/और खान के प्रबंधक जहां थोक में विस्फोटकों का परिवहन किया जाना प्रस्तावित है, निम्नलिखित सुनिश्चित करेंगे:-
 - ए) केवल उचित प्रशिक्षित व्यक्ति जो इस उद्देश्य के लिए प्रबंधक द्वारा लिखित में अधिकृत है, उसे ही इस कार्य के लिए तैनात किया जाएगा।
 - बी) इस कार्य के लिए तैनात व्यक्तियों के जरूरत के लिए पर्याप्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएंगे और इसका कार्यस्थल पर उपयोग किया जाएगा।
2. ओपनकास्ट खान में थोक में विस्फोटक के परिवहन के पूरे संचालन के कार्य को एक सक्षम व्यक्ति, जिसकी योग्यता कम से कम ओवरसैन की हो, के अधीन रखा जाएगा।
3. प्राइमिंग स्टेशन या विस्फोटक स्थल पर थोक में विस्फोटकों का परिवहन केवल दिन के प्रकाश के दौरान ही किया जाएगा।
4. विस्फोटक स्थल पर थोक में विस्फोटकों की मात्रा एक बार में उतना ही ले जाया जाएगा जितना कि एक राउंड में उपयोग के लिए आवश्यक होगा तथा सुराख के चार्ज होने के समय से 30 मिनट पहले भी नहीं।
5. थोक में विस्फोटकों के परिवहन के लिए केवल उस वाहन का उपयोग किया जाएगा जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित हो।
6. थोक में विस्फोटकों के परिवहन और संचालन के लिए तैनात वाहन के संबंध में लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का सख्ती से पालन किया जाएगा।
7. ऐसा वाहन सुरक्षित परिचालन स्थिति में होगा और प्रबंधक द्वारा विधिवत अधिकृत सक्षम लाइसेंस प्राप्त ड्राइवरों द्वारा संचालित किया जाना चाहिए।

8. उपयुक्त प्रकार के कम से कम दो अग्निरोधक यंत्र (फायर एस्टिंग्यूशर), जो विद्युत और पेट्रोलियम के आग से लड़ने में सक्षम हो, प्रत्येक वाहन में एक आसान एवं सुलभ स्थिति में उपलब्ध कराया जाएगा और उसे हमेशा तैयार स्थिति में बनाए रखा जाएगा।

9. थोक में विस्फोटकों को परिवहन करने से पहले, इस संबंध में अधिकृत सक्षम व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से परिवहन और विस्फोटकों के उपयोग में लगे प्रत्येक व्यक्ति की जाँच करेगा और खुद को संतुष्ट करेगा कि किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी सिगार, सिगरेट, बीड़ी या अन्य धूम्रपान सामग्री, माचिस या कोई अन्य उपकरण जैसे मोबाइल फोन इत्यादि जो प्रकाश लौ या स्पार्क उत्पन्न करने में सक्षम हो, नहीं हो।

10. इसके अतिरिक्त, थोक में विस्फोटक परिवहन करते समय निम्नलिखित सावधानियाँ बरती जाएगी:

ए) लोड होने के दौरान वाहन को चेन लिंक के साथ ठीक से अर्थ किया जाएगा।

बी) विस्फोटकों के हटाने के दौरान के समय को छोड़कर अन्य सभी समय में वाहन को अच्छी तरह से बंद (lock) कर दिया जाएगा।

सी) वाहन अधिभारित नहीं किया जाएगा।

डी) वाहन प्रति घंटे 25 किलोमीटर से अधिक की रफ्तार से संचालित नहीं किया जाएगा।

ई) विस्फोटक के साथ लोड वाहन को गैर-उपस्थित नहीं छोड़ा जाएगा।

एफ) लोड होने के समय वाहन पृथक स्थान में रखा जाएगा।

जी) विस्फोटकों से भरे वाहन को गेराज या मरम्मत की दुकान में नहीं लाया जाएगा और भीड़ वाले जगह में पार्क नहीं किया जाएगा।

एच) विस्फोटकों का परिवहन करने वाले वाहन में, आपात स्थिति को छोड़कर, ईंधन नहीं भरा जाएगा और भरने के समय इंजन बंद कर दिया जाएगा तथा उस समय दुर्घटना को रोकने के लिए अन्य सावधानियाँ बरती जाएगी।

आई) जहाँ भी ड्रिलिंग का कार्य किए जा रहे हैं, उसी क्षेत्र में पहले से ही ड्रिल किए गए गहरे सुराख को उसी समय में चार्ज नहीं किया जाएगा।

जे) विस्फोटक परिवहन वाहन से कोई ट्रेलर संलग्न नहीं किया जाएगा।

11. थोक में विस्फोटकों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक वाहन को एक सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रत्येक 24 घंटों में सावधानी से निरीक्षण किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि:

ए) आग बुझाने वाले (फायर एस्टिंग्यूशर) यंत्र भरे हुए हैं और जगह पर हों,

बी) इलेक्ट्रिक तार अच्छी तरह से इन्सुलेट हों और मजबूती से अपनी जगह पर सुरक्षित किया गया हों,

सी) चेसिस, इंजन और वाहन साफ हो और वे अधिशेष तेल से साफ और मुक्त हों,

डी) ईंधन टैंक और फ्रीड लाइनें लीक नहीं हो रही हों और

ई) रोशनी, ब्रेक और स्टीयरिंग तंत्र अच्छे तरह से काम कर रहे हों।

12. उपरोक्त धारा संख्या 11 के तहत किए गए प्रत्येक निरीक्षण को एक बाउंड पेज रजिस्टर में रिकार्ड किया जाएगा तथा निरीक्षण करने वाले सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित किया जाएगा।

13. खदान का प्रबंधक "थोक में विस्फोटकों के संचालन और परिवहन" के लिए एक उपयुक्त कार्य संहिता (कोड ऑफ प्रैक्टिस) तैयार करेगा।

[संचिका संख्या जेड-20045/01/2018/वि.एवं त.(मु.)]

प्रशांत कुमार सरकार, मुख्य खान निरीक्षक

NOTIFICATION

Dhanbad, the 1st October, 2018

G.S.R. 982(E).—In exercise of the powers conferred on me under Regulation 188 of the Coal Mines Regulations 2017, I, Prasanta Kumar Sarkar, Chief Inspector of Mines, also designated as the Director General of Mines Safety, hereby, specify the conditions for transport of explosives in bulk in a coal mine, as follows:

CONDITIONS FOR TRANSPORT OF EXPLOSIVES IN BULK

(See Regulation 188 of the Coal Mines Regulations 2017)

1. The Owner, Agent or/and Manager of the mine where transportation of explosives in bulk is proposed to be practiced, shall ensure the following.
 - a) Only properly trained persons who are authorised in writing by the manager for the purpose are deployed.
 - b) Adequate personal protective equipments as required to be used by persons deployed in this connection are provided and also used.
2. The entire operations of transportation of explosives in bulk within an opencast mine shall be placed under the overall charge of a competent person holding atleast an Overman's certificate of competency.
3. Transport of explosives in bulk to the priming station or the site of blasting shall be done only during day light hours.
4. The quantity of explosives to be transported in bulk at one time to the site of blasting shall not exceed the actual quantity required for use in one round of shots, and also not before 30 minutes of the commencement of charging of holes.
5. Only a vehicle duly approved by the Competent Authority shall only be used for transport of explosives in bulk.
6. All conditions stipulated by the licensing authority in respect of the vehicle deployed for transportation and handling of explosives in bulk shall be strictly followed.
7. Such vehicle shall be in safe operating condition and should be driven by competent licensed drivers duly authorised by the Manager.
8. At least two fire extinguishers of suitable size and capable of fighting electrical and petroleum fires shall be provided in each vehicle in an easy accessible position and maintained in a state of readiness.
9. Before transporting explosives in bulk, the competent person authorised in this regard shall personally search every person engaged in the transport and use of explosives and shall satisfy himself that no person so engaged has in his possession any cigar, cigarette, biri, or other smoking material or any match or any other apparatus like mobile phone etc., of any kind capable of producing a light, flame or spark.
10. Additionally, the following precautions shall be strictly observed while transporting explosives in bulk.
 - (a) The vehicle shall be properly earthed with chain links while loading.
 - (b) The vehicle shall be well locked except during times of placement and removal of stocks of explosives.
 - (c) The vehicle shall not be overloaded.
 - (d) The vehicle shall not be driven at a speed exceeding 25 kilometers per hour.
 - (e) The vehicle loaded with explosives shall not be left un-attended.
 - (f) The vehicle shall be kept in isolated places while loaded.

- (g) The vehicle loaded with explosives shall not be taken into garage or repair shop and shall not be parked in a congested place.
 - (h) The vehicle transporting explosives shall not be refuelled except in emergencies; even then it's engine shall be stopped and other precautions taken to prevent accidents.
 - (i) Wherever, drilling operations are being carried out, charging of already drilled deep holes shall not be carried out in the same area at the same time.
11. Every vehicle used for the transport of explosives in bulk shall be carefully inspected once in every 24 hours by a competent person, to ensure that:
- (a) fire extinguishers are filled and are in place,
 - (b) the electric wiring is well insulated and firmly secured,
 - (c) the chassis, engine and body are clean and free from surplus oil and grease,
 - (d) the fuel tank and feed lines are not leaking and
 - (e) lights, brakes and steering mechanism are in good working order.
12. A report of every inspection made under sub-clause (a) shall be recorded in a bound paged book kept for the purpose and shall be signed and dated by the competent person making the inspection.
13. The mine manager shall frame a suitable code of practice for handling and transportation of explosives in bulk.

[F. No. Z-20045/01/2018/S&T(HQ)]

PRASANTA KUMAR SARKAR, Chief Inspector of Mines

अधिसूचना

धनबाद, 1 अक्टूबर, 2018

सा.का.नि. 983(अ).— कोयला खान विनियम 2017 के विनियम 189 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, प्रशांत कुमार सरकार, मुख्य खान निरीक्षक, खान सुरक्षा महानिदेशक के रूप में भी नामित, एतद्वारा विनिर्दिष्ट करता हूँ कि खान में रिजर्व स्टेशन की स्थापना के लिए स्थान का चयन के लिए शर्तें निम्नानुसार होगी:

कोयला खान विनियम, 2017 के विनियम 189 के तहत रिजर्व स्टेशन की स्थापना हेतु स्थान का चयन करने के लिए शर्तें।

रिजर्व स्टेशन का चयन इस प्रकार करेंगे जो सुनिश्चित करेगा कि –

- (1) स्थान पर ओवरहैंगिंग या विशेष (प्रोमिनेंट) अंडरकट न हो। छत और किनारा पर्याप्त रूप से सपोर्टेड और सफेदी किया हुआ हो।
- (2) स्थल पूर्णरूप से साफ, कचड़ा मुक्त और पर्याप्त रूप से घेराबंदी किया गया हो।
- (3) रिजर्व स्टेशन और 18 मीटर के अंदर आने वाले सभी जगह कोयला के धूलकण से मुक्त हो तथा क्षेत्र के अंदर की छत, जमीन तथा किनारा पर्याप्त रूप से अज्वलनशील धूलकण से उपचारित हो, जैसा कि कोयला खान विनियम, 2017 के विनियम, 144 के तहत वांछित है। 18 मीटर के अंदर आने वाले सभी धरातल पर अज्वलनशील धूलकण से इस प्रकार उपचार किया जाएगा ताकि 2 सेन्टीमीटर का मोटा परत बन जाए।
- (4) बिजली का तार या अन्य उर्जा का स्रोत जिससे बारूद और या इग्निशन सिस्टम में आग या विस्फोट की संभावना हो, उसे रिजर्व स्टेशन से 90 मीटर के अंदर से ले जाने की अनुमति नहीं है।
- (5) स्थल पर्याप्त रूप से हवादार हो।
- (6) स्थल पर व्यक्तियों को बार-बार जाने की अनुमति नहीं हो।

[संचिका सं. जेड-20045/01/2018/वि.एवं त.(मु.)]

प्रशांत कुमार सरकार, मुख्य खान निरीक्षक